संख्या 2870/नौ-2-04(60पे0)/2003

प्रेषक,

कुँवर सिंह
अपर सचिव
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में ,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तरांचल पेयजल निगम
देहरादून ।

पेयजल अनुभाग देहरादून दिनांक 20 फरवरी, 2004

विषय– लक्ष्मणझूला 0.50 एम0एल0डी0 (FAB) सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांट की भूमि अधिग्रहण के लिये वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 305/अप्रे-हरिद्वार/ दिनांक 15.11.2003 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लक्ष्मणझूला 0.50 एम0एल0डी0(FAB) सीवेज ट्रीटमैंट प्लांट की भूमि अधिग्रहण के सम्बन्ध में प्राप्त प्राक्कलन अनु0 लागत रू0 8.48 लाख का परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि रू0 8.28 लाख(आठ लाख अटठाईस हजार मात्र) पर प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन प्राप्त करते हुये श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तो के अधीन भूमि के प्रतिकर भुगतान के लिए रू0 8.28 लाख (रू0 आठ लाख अटठाईस हजार मात्र) की धनराशि को व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

1–आगणन मे उल्लिखित दरो का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत /अनुमोदित दरो को जो दरें शिडयूल ऑफ रेट मे स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा ।

2–कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना स्वीकृत मानक है , स्वीकृत मानक से अधिक व्यय कदापि न किया जाय ।

3–कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय ।

4–एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

5–कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताए तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एंव लोक निमार्ण विभाग/उत्तरांचल पेयजल निगम द्वारा प्रचलित दरों /विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें ।

6–कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भाँति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एंव गुणवत्ता के साथ अवश्य करा लें । निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिपणी के अनुरूप कार्य किया जाय ।

7–व्यय करते समय बजट मैनुअल,वित्तीय हस्तपुस्तिका,स्टोर परचेज रूल्स, टेण्डर/कुटेशन विषयक नियमों एंव अन्य तद्विषयक नियमों का अनुपालन किया जायेगा ।,

8–आगणन में जिन मदो हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जायेगा, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय ।

8(A)–निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाए ।

2– स्वीकृत धनराशि प्रबन्ध निदेशक,उत्तरांचल पेयजल निगम के हस्ताक्षर एंव जिलाधिकारी,देहरादून के प्रतिहस्ताक्षर युक्त बिल कोषागार देहरादून में प्रस्तुत करके आहरित की जायेगी । स्वीकृत धनराशि का आहरण एकमुश्त न करके तथा यथा आवश्यकता तभी किया जायेगा जब भुगतान हेतु आवश्यक हो ।

3– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2004 तक पूर्ण उपयोग कर ,कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एंव उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

4– व्यय के सम्बंध में शेष शर्ते शासनादेश संख्या 2611/नौ–2(77पे0)/ 2002 ,दिनांक 13.11.2002 के अनुसार यथावत् लागू रहेगी।

5– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2003–04 के अनुदान संख्या–13 के लेखाशीर्षक "2215 –जलपूर्ति तथा सफाई–01–जलपूर्ति–आयोजनागत–107–मलनिकासी सेवायें–01–केन्द्रीय आयोजनागत /केन्द्र द्वारा पुरोनियोजित योजनायें–0103–गंगा कार्ययोजना(द्वितीय चरण) –20– सहायक अनुदान/ अंशदान/राजसहायता" के नामे डाला जायेगा ।

6– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकी संख्या 2840/वित्त अनु0–3/2004, दिनांक– 16 फरवरी, 2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है ।

भवदीय

(कुँवर सिंह)
अपर सचिव

संख्या 2870(1)/नौ–2–(15पे0)/2001, तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2– जिलाधिकारी देहरादून ।
3– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4– निजी सचिव, मा0 मुख्य मत्री/पेयजल मत्री।
5– वित्त अनुभाग–3/नियोजन प्रकोष्ठ/वित्त बजट सैल।
6– निदेशक, सूचना एंव लोक सम्पर्क निदेशालय, ई0सी0 रोड, देहरादून।
7– निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।

8- प्रोजेक्ट मैनेजर गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई ,उत्तराचल पेयजल निगम हरिद्वार को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे कृपया योजना से सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता को निर्देशित करें कि वे शासन से सम्पर्क कर आगणन में किए गये संशोधन को नोट कर लें ।

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुंवर सिंह)
अपर सचिव।